"श्री"

न्यायालय उपखण्ड कलक्टर (SDO) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी श्री नरेश सोनी RAS

राजस्व वाद सं. 38/2019

वादीगण बनाम प्रतिवादीगण

1. अकबर खां
2. सुभान खां

पिता अलावदीन खां
जाति मुसलमान
निवासी बड़नावा जागीर
तहसील - पचपदरा

1. मुसे खां पुत्र गांजी खां
2. बन्नू खां पुत्र गाजी खां
3. जमाल खां पुत्र मूरे खां
जाति मुसलमान निवासी कठोड़ा खेरा तह. पचपदरा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 RTA घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति 1. श्री चेलाराम कुमावत वकील वादीगण

निर्णय

दिनांक 01-10-2021

वादीगण के वाद-पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा दुर्गापुरा के खेत खसरा नं. 101 रकबा 277.06, ख.नं. 121 [illegible] चला आया हुआ है, जिसके बंटवारा [illegible] किया जाकर अंतिम डिक्री पारित [illegible] की गई, जिसकी पालना में नामान्तरकरण सं. 226 भरा गया, जिसके अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:41:58 IST
Reason: SelfAttested

(SDO) बालोतरा

खसरा नं. 525/103 रकबा 30.10 बीघा, खसरा नं. 526/121
रकबा 67.16 बीघा जिसके खां, बच्चू खां, पि. गुलाब खां
हिस्सा 656/1966, मदारी खां, शोकत खां पि. गाजी खां हिस्सा
654/1966, मीमो बानू पत्नि बच्चू खां हिस्सा 255/1966,
आद खां, ~~अब्दुल~~ मदरीस खां, नसीर खां पुत्र उस्मान खां
हिस्सा 182/1966 मुसे खां, बच्चू खां, पि. गाजी खां, जमाल खां
पुत्र नूरे खां हिस्सा 219/1966 दर्ज किया गया। राजस्व
रेकर्ड में दि. 01.05.2008 को अमलदरामद किये जाने के
पश्चात वादीगण ने दि. 12-05-2008 के जरिये
प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का ख.नं. 525/101 रकबा 30.10
बीघा, ख.नं. 526/121 रकबा 67.16 बीघा कुल रकबा
98.06 बीघा में से प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का हक हिस्सा
219/1966 काश्तकारी का खरीद किया गया। बैयनामा
के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करने हेतु
हल्का पटवारी को प्रति दी गई, हल्का पटवारी के
द्वारा ख.नं. 525/101 में वादीगण के नाम प्रतिवादी सं. 1
ता 3 के स्थान पर दर्ज किया गया। [illegible] दौरान
तनख्वाह हेतु जारी डिक्री के विरुद्ध [illegible]
निर्णय हुआ, जिसमें उक्त निर्णय [illegible] कोर्ट से
[illegible] डिक्री को आधार
कर दिया गया। जिस पर नामान्तरकरण सं. 281 पारित कर
राजस्व रेकर्ड में पूर्व की स्थिति को कायम किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:41:58 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण के नाम से ख.नं. 626/121 [illegible] करना रद्द गया।

उक्त प्रकरण के दावे में पुनः सुनवाई होकर अन्तिम डिक्री पारित की गई, जिसके विरुद्ध अपील पेश की गई, इस दौरान वादगण ने कोर्ट के अंतिम डिक्री के अनुसार अमलदरामद किया गया जिस पर वादीगण के बेचान शुदा भूमि के नये खसरा नम्बर 737/121 रकबा 10-19 बीघा प्रतिवादीगण क्र. 1 ता 3 के नाम से अमलदरामद किया गया।

अन्त में निवेदन किया गया कि खेत खसरा नम्बर 737/121 रकबा 10-19 बीघा वादग्रस्त आराजी का वादीगण को खातेदार घोषित कर प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी कराने का निवेदन किया गया।

वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण रजिस्टर्ड नोटिस समन भिजवाये गये, बावजूद सूचना प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

साक्ष्य वादी में गवाह [illegible] पी.डब्ल्यू.-1 के बयान मुख्यपरीक्षा स्वरूप शपथ-पत्र पेश कर जिरह करवाये, दस्तावेजात प्रदर्श कराये गये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:41:58 IST
Reason: SelfAttested

(SDO) बालोतरा

वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पत्रावली बहस सुनी गई. हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण के द्वारा बैयान दस्तावेज प्रदर्श EX A 8 A से स्पष्ट है कि ख.नं. 525/101 रकबा 30 बीघा 10 बिस्वा भूमि का प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 के द्वारा वादीगण को भूमि बैयान कर दी थी, लेकिन बैयान शुदा भूमि के प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम ख.नं. 737/121 रकबा 10-19 बीघा बारानी आराजी राजस्व रेकार्ड में पुनः अमलदरामद किया गया है। प्रतिवादी सं.1 ता 3 के नाम खसरा नम्बर परिवर्तन होने से वादीगण के नाम बैयान दस्तावेज के अनुसार अमलदरामद नहीं किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण के वाद को स्वीकार कर मौजा पुरोहितपुरा के खेत ख.नं. 737/121 रकबा 10-19 बीघा बारानी आराजी के से प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 मुरादे खां, कुदरत खां पिता गाजी खां 1/2 जमाल खां पुत्र नूरे खां, [illegible] के नाम बैयान दस्तावेज सं. 2008000654 दिनांक 12.05.2008 के आधार पर हटाये जाकर, वादीगण अकबर खां, सुभान खां पिता अलावलखां के नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदारी लेकिन

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:41:58 IST
Reason: SelfAttested

बालोतरा

की जाती है। तहसीलदार, पचपदरा तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करे।

निर्णय आज दिनांक 01-10-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:41:58 IST
Reason: SelfAttested